विवाद्यक बिन्दू (तनकीयात्) की आव यकता नहीं होने से तय नही किये गये तथा पत्रावली साक्ष्य वादी हेतु नियत की गई।

साक्ष्य वादी में वकील वादी ने नकल जमाबंदी सम्वत् 2073–76 मौजा ईग्यार के खाता संख्या 341 प्रदर्श–1 एवं भवानीसिंह पुत्र मोतीसिंह ईग्यार शपथ पत्र प्रदर्श–2 पेश किये। वकील वादी ने और साक्ष्य पेश नहीं करने का निवेदन पर साक्ष्य वादी बंद की गई। प्रतिवादी संख्या 1 से 2 की ओर से ईकबाली जवाब वाद पेश होने से साक्ष्य प्रतिवादी की आवश्यकता नहीं होने से पत्रावली वास्ते बहस नियत की गई।

बहस वकुलाय सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने वाद पत्र में किये गये कथनों को दोहराया तथा वाद को डिकी करने का निवेदन किया। वकील प्रतिवादी संख्या 1 से 2 ने वादपत्र को डिक्री किये जाने में सहमति दौराने बहस व्यक्त की। मेरे द्वारा वादी के अभिकथनो तथा साक्ष्य के तौर पर पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वादी के वाद तथा प्रस्तुत दस्तावेजो से वादी के वाद की आंशिकतः ताईद होती है तथा किसी भी पक्षकार द्वारा वाद का विरोध नही किया गया है। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अराजी भूमि पक्षकारान की बडेर की भूमि होकर सहकब्जे काश्त व खातेदारी की भूमि है जिसे पक्षकार अपनी सुविधानुसार जोत सुधार एवं सरकारी योजनाओं के लाभ कराने हेतु अलग खातेदारी घोषणा करवाने के अधिकार है। अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

– : आदेश :–

अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के आधार पर वाद वादी का स्वीकार किया जाकर डिकी निम्न प्रकार डिक्री किया जाता है।

1. वादी भवानीसिंह के हक बंट कब्जे काश्त खातेदारी में मौजा ईग्यार के खेत खसरा नम्बर 830/254 रकबा 2.0234 हैक्टेयर में से रकबा 1.0117 हैक्टेयर उतरी भाग रखा जाकर खातेदारी की घोषणा की जाती है।
2. प्रतिवादी संख्या 1 अरविन्दसिंह के बंट कब्जा काश्त खातेदारी में मौजा ईग्यार के खेत खसरा नम्बर 830/254 रकबा 2.0234 हैक्टेयर में से रकबा 1.0117 हैक्टेयर दक्षिणी भाग रखा जाकर खातेदारी की घोषणा की जाती है।
3. प्रतिवादी संख्या 2 के बंट कब्जा काश्त खातेदारी में मौजा ईग्यार के खेत खसरा नं. 829/510 रकबा 1.5783 हैक्टेयर पूरा हक बंट रखा जाकर खातेदारी की घोषणा की जाती है।

माफिक आदेश डिक्री पर्चा जारी हो। तहसीलदार जायल को आदेश दिया जाता है कि माफिक डिक्री आदेश अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद की कार्यवाही सुनिश्चित करे। मिसल फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(ओमप्रकाश वर्मा)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
जायल

निर्णय आज दिनांक 11.2.23 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओमप्रकाश वर्मा)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
जायल

Scanned with CamScanner